छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय
दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

क्रमांक एफ15-47/20/2010/दो
प्रति,

रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल, 2010

संचालक,
लोक शिक्षण संचालनालय
रायपुर, छत्तीसगढ़।

विषय:—शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 का क्रियान्वयन–निजी विद्यालयों में बच्चों की भर्ती बावत ।

—0—

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 राज्य में 01 अप्रैल, 2010 से लागू हो गया है । इस अधिनियम के तहत सभी निजी विद्यालयों में उनके कुल दर्ज संख्या के न्यूनतम 25 प्रतिशत सीटों पर कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों की भर्ती कराया जाना है । नर्सरी अथवा प्राथमिक कक्षाओं में एक किलोमीटर तथा उच्च प्राथमिक कक्षा में 3 किलोमीटर परिधि के भीतर के बच्चों की भर्ती कराया जाना है । इसकी प्रक्रिया निम्नानुसार प्रस्तावित है :–

a) परिधि अन्तर्गत उपलब्ध शासकीय विद्यालयों में निजी विद्यालय में प्रवेश हेतु इच्छुक बच्चे आवेदन करेंगे ।

b) इस हेतु निकटस्थ हाई अथवा हायर सेकण्ड्री स्कूल में प्राचार्य की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें संबंधित शासकीय एवं निजी विद्यालय के प्रधान पाठक / प्राचार्य सदस्य होंगे । इसके अलावा शाला प्रबंधन समिति के अध्यक्ष तथा अन्य कुछ सदस्य होंगे ।

c) रिक्त सीटों की उपलब्धता तथा आवेदन करने की प्रकिया बावत जानकारी प्रसारित करने की जवाबदारी इस समिति की होगी ।

d) आवेदक बच्चों के पात्रता की छानबीन तथा निजी विद्यालय को पात्र बच्चों की सूची देने तक की कार्यवाही इस समिति द्वारा की जाएगी ।

e) यदि आवेदक बच्चों की संख्या उपलब्ध सीटों से अधिक होती है, तो पारदर्शी तरीके से लाटरी पद्धति से भर्ती हेतु बच्चों का चयन किया जाएगा । इस प्रक्रिया को पूर्ण करने की भी जवाबदारी इसी समिति की होगी ।

इस हेतु निम्नानुसार कार्यवाही करें ।

सभी निजी विद्यालयों के बावत निम्न जानकारी प्राप्त करें ।

a) शुरूआत की कक्षा यथा नर्सरी, पहली, छठवीं अथवा नववीं ।

b) नर्सरी, पहली, छठवीं में प्रत्येक शाला की दर्ज संख्या ।

c) विद्यालय द्वारा उक्त कक्षाओं हेतु विद्यार्थी से प्रतिवर्ष ली ...

[illegible] ।

[illegible] ।

[illegible] उक्त कक्षाओं के सत्र की शुरुआत का दिनांक ।

(ङ) विद्यालय द्वारा निम्नतम 25 प्रतिशत से अधिक कमजोर एवं वंचित समूह के बच्चों को भर्ती देने की तैयारी हो तो वे जितने प्रतिशत तक देने तैयार हैं, वह प्रतिशत ।

2. इन सभी निजी विद्यालयों के एक एवं तीन किलोमीटर परिधि में उपलब्ध अन्य शासकीय अनुदान प्राप्त अथवा निजी विद्यालय की जानकारी एकत्र करें ।

3. प्रत्येक निजी विद्यालय हेतु उपरोक्त भर्ती समिति के अध्यक्ष जिस स्कूल के प्राचार्य होंगे उस स्कूल को चिन्हित करें ।

4. यह कार्य यथाशीघ्र परंतु 10 दिनों के भीतर पूर्ण करें ।

(नंद कुमार)
सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

क्रमांक एफ13-47/20/2010/दो
रायपुर, दिनांक 12 अप्रैल, 2010

प्रतिलिपिः—

1. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, स्कूल शिक्षा विभाग, छत्तीसगढ़ ।

[illegible] आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

सचिव
छत्तीसगढ़ शासन
स्कूल शिक्षा विभाग

"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 253] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 23 अगस्त 2011—भाद्र 1, शक 1933

स्कूल शिक्षा विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (घ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में "असुविधाग्रस्त समूह के बालक" से आशय :—

(क) भारत के संविधान के अनुच्छेद 341 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जाति के बालक से है;

(ख) भारत के संविधान के अनुच्छेद 342 के अधीन इस राज्य के संबंध में यथा विनिर्दिष्ट अनुसूचित जनजाति के बालक से है;

(ग) ऐसे बालक से है, जिनके संरक्षक इस राज्य के संबंध में भारत शासन द्वारा यथा परिलक्षित आदिम जनजाति समूह के हैं;

(घ) ऐसे बालक से है, जो निःशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 की धारा (2) के खण्ड (झ) के अधीन यथा विनिर्दिष्ट 40 प्रतिशत निःशक्तता से ग्रस्त हैं; तथा

(ङ) ऐसे बालक से है, जिनके संरक्षक अनुसूचित जनजातियों और परम्परागत वन धनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत वन अधिकारों के मान्यतापत्र धारी हैं.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

NOTIFICATION

No. F 13-73/20-3/11.—In exercise of the powers conferred by clause (d) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, notifies that, in Chhattisgarh State, "child belonging to disadvantaged group" means :—

(a) a child belonging to the Scheduled Castes as specified in relation to this State under Article 341 of the Constitution of India ;

(b) a child belonging to the Scheduled Tribes as specified in relation to this State under Article 342 of the constitution of India;

(c) a child whose parents belongs to Primitive Tribal Groups as identified by the Government of India in relation to this State;

(d) a child with 40 percent disability as specified under clause (i) of Section 2 of Persons with Disabilities (Equal Opportunities, Protection of Rights and Full Participation) Act, 1995; and

(e) a child whose parents are having certificate of Recognition of Forest Rights, under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. SHANDILYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—निःशुल्क और बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 2 के खण्ड (ङ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है, कि छत्तीसगढ़ राज्य में 'दुर्बल वर्ग के बालक' से आशय है,—

(क) ऐसा बालक जिसके संरक्षक तत्समय प्रभावशील गरीबी रेखा की सूची में शामिल हों;

(ख) ऐसा बालक जिसके संरक्षक वर्तमान में जीवित न हों, किन्तु उनकी मृत्यु के समय प्रभावशील गरीबी रेखा सूची में उनका नाम सम्मिलित था.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

Raipur, the 23rd August 2011

NOTIFICATION

No. F 13-73/20-3/11.—In exercise of the powers conferred by clause (e) of Section 2 of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act, 2009 (No. 35 of 2009), the State Government, hereby, notifies that, in Chhattisgarh State the "child belonging to weaker section" means,—

(a) a child whose parents are included in the list of Below Poverty Line effective at that time;

(b) a child whose parents are not alive at present but his name was included in the list of Below Poverty Line effective at the time of their death.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
R. SHANDILYA, Deputy Secretary.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (2009 का 35) की धारा 18 की उप-धारा (1) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, अधिसूचित करती है कि, अधिनियम की धारा 18 के प्रयोजनों के परिपालन हेतु, छत्तीसगढ़ राज्य में, जिला शिक्षा अधिकारी संबंधित जिले में उनके कार्यक्षेत्र के भीतर, सक्षम प्राधिकारी होंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 23 अगस्त 2011

क्रमांक एफ 13-73/20-3/11.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 23-08-2011 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रीता शाण्डिल्य, उप-सचिव.